पत्रांक–योजना बजट–35 / 2012 / प०व०

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

प्रेषक,

रत्नेश झा,
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास),
बिहार, पटना

पटना–15, दिनांक–........... / 06 / 2015

विषय :– वित्तीय वर्ष 2014–15 से 15–16 तक पथ तट फार्म योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री निजी (पॉपलर) पौधशालाओं में कृषकों द्वारा पौधा उगाने हेतु पूरी योजना राशि ₹ 1727.89 लाख (सतरह करोड़ सताईस लाख नवासी हजार ₹ मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसके तहत वित्तीय वर्ष 2014–15 में व्यय हेतु मात्र ₹ 373.85 लाख (तीन करोड़ तिहत्तर लाख पचासी हजार ₹ मात्र) की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–883 दिनांक–23.03.2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2015–16 तक पथ तट फार्म योजनान्तर्गत कुल 22 प्रमंडलों में कुल 1147 मुख्यमंत्री निजी (पॉपलर) पौधशालाओं में कुल 11470000 पॉपलर पौधें कृषकों द्वारा उगाने हेतु पूरी योजना राशि ₹ 1727.89 लाख (सतरह करोड़ सताईस लाख नवासी हजार ₹ मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसके तहत वित्तीय वर्ष 2014–15 में व्यय हेतु मात्र ₹ 373.85 लाख (तीन करोड़ तिहत्तर लाख पचासी हजार ₹ मात्र) की स्वीकृति दी गई थी।

आपके पत्रांक–1722 दिनांक–08.05.2015 एवं पत्रांक–1907 दिनांक–26.05.2015 द्वारा दी गई सूचनानुसार वित्त विभाग के पत्रांक–3196 दिनांक–27.03.2015 द्वारा राशि की निकासी पर रोक लगा दिये जाने के कारण वित्तीय वर्ष 2014–15 में व्यय हेतु कुल कर्णांकित राशि में से ₹ 76.66410 लाख (छिहत्तर लाख छियासठ हजार चार सौ दस ₹ मात्र) की निकासी नहीं हो सकी, जिसे वित्तीय वर्ष 2015–16 में निकासी कर व्यय किया जाना योजना क्रियान्वयन के हित में आवश्यक बताया गया है।

.....2

अतः आपकी अनुशंसा पर सम्यक विचारोपरांत निदेशानुसार स्वीकृत कुल योजना राशि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु पूर्व से कर्णांकित राशि एवं वित्तीय वर्ष 2014–15 का अव्ययित राशि ₹76.66410 लाख कुल ₹1673.81 लाख (सोलह करोड़ तिहत्तर लाख इकासी हजार ₹ मात्र) को चालु वित्तीय वर्ष 2015–16 में निकासी कर व्यय की अनुमति प्रदान की जाती है।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(रत्नेश झा)
,सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–योजना बजट–35/2012 1906 /प०व० पटना–15, दिनांक–29/06/2015

<u>प्रतिलिपि :–</u> महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी–सह–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना, नालंदा, भोजपुर, भागलपुर, बांका, जमुई, पूर्णियाँ, सहरसा, सुपौल, अररिया, तिरहुत, सीतामढ़ी, मिथिला, बेगूसराय, समस्तीपुर, सारण, वैशाली, गोपालगंज, मोतिहारी, मुंगेर, कैमूर, बेतिया, वन संरक्षक, पटना, गया/वन्य प्राणी अंचल, पटना, मुजफ्फरपुर, सीवान, पूर्णियाँ, भागलपुर, वन संरक्षक–सह–निदेशक, वाल्मिकी व्याघ्र परियोजना, बेतिया इनसे संबद्ध जिला कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/सहायक आतरिक वित्तीय सलाहकार/~~आई०टी०~~ मैनेजर/बजट शाखा (दो प्रतियों में), पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/6/15
(रत्नेश झा)
सरकार के उप सचिव